न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/71/2020

उनवान

1. बक्षुनाथ पुत्र सुवानाथ, उम्र वयस्क निवासी करेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज.)

– अपीलार्थी

बनाम

1. आसु पुत्र श्री भागीरथ कुमावत, उम्र वयस्क निवासी–थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
2. नानूराम पुत्र श्री अमरा कुमावत, उम्र वयस्क निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
3. ग्राम पंचायत थला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
4. माधु पुत्र श्री नाथु कुमावत मृतक के बजाय
   4/1 छाबली देवी पत्नी श्री माधु कुमावत, उम्र वयस्क निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
5. धन्ना पुत्र श्री नाथु कुमावत, उम्र वयस्क निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
6. नैना पुत्र श्री नाथु कुमावत, उम्र वयस्क निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
7. सोहन पुत्र श्री नाथु कुमावत, उम्र वयस्क निवासी–थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
8. बिरम पुत्र श्री नारू कुमावत, उम्र वयस्क निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
के प्रकरण संख्या 19/2019 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.3.2020

अभिभाषक :

1. श्री एस एन सोमाणी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री शिव सिंह चारण अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 5 7
4. श्री सूरज सनाढ्य, दिनेश तिवाडी, प्रत्यर्थी संख्या 4

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

(2)अपील संख्या 201/2024

अनवान

1. माधु पुत्र श्री नाथू कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०) मृतक के बजाय विधिक वारीस—
श्रीमती छावली देवी पत्नी स्व० श्री माधु कुमावत आयु वयस्क निवासी— थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थी

बनाम

1. आसु पुत्र श्री भागीरथ कुमावत आयु वयस्क निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. नानूराम पुत्र श्री अमरा कुमावत आयु वयस्क निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. ग्राम पंचायत थला जरिये संरपच ग्राम पंचायत थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. धन्ना पुत्र श्री नाथू कुमावत आयु वयस्क निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. नैना पुत्र श्री नाथू कुमावत आयु वयस्क निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. सोहन पुत्र श्री नाथू कुमावत आयु वयस्क निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रायपुर जिला भीलवाडा (राज०)

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
के प्रकरण संख्या 19/2019 निर्णय एवं डिकी दिनांक 5.3.2020

अभिभाषक :

1. श्री शोभागमल कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थी

आदेश

दिनांक 14.1.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील–रायपुर के बेरून हल्का आबादी में मुझ वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 989/2 क रकबा 18 बिस्वा भूमि स्थित थी। उक्त साबिक आराजी संख्या 989/2क रकबा 18 बिस्वा को मुझ वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के तत्कालीन खातेदार अम्बालाल आत्मज भागीरथ जी कुमावत से दिनाक 6–9–2001 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 1420 के मुझ वादी के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड हुई। तब से ही मैं वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता वला जा रहा हूँ।

2. इसी प्रकार ग्राम थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 989/2 ख रकबा 17 बिस्वा प्रतिवादी संख्या एक के पिता अमरा आत्मज भज्जा जी कुमावत के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की स्थित थी । इसी प्रकार ग्राम थला की साबिक आराजी संख्या 989/1 रकबा एक बीघा भूमि नंदा, मोहन, माधु, नैना, धन्ना आत्मज नाधु कुमावत के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड थी इसी अनुसार वे मौके पर काबिज चले रहे है तथा वादी की साबिक आराजी संख्या 989/2क रकबा 18 बिस्वा साबिक राजस्व नक्शे मे भी प्रतिवादी संख्या एक के पिता अमरा जी कुमावत की साबिक आराजी संख्या 989/2ख के पूर्व दिशा में स्थित होकर फीट थी।

3. ग्राम थला का नवीन भु प्रबन्ध हुआ, जिसमे वादी की साबिक अराजी संख्या 989/2ख रकबा 18 बिस्वा के नवीन नम्बर 259 रकबा 0.19 हैक्टेयर कायम किये गये तथा प्रतिवादी संख्या एक के पिता की साबिक आराजी संख्या 989/2ख रकबा 17 बिस्वा के नवीन नम्बर 260 रकबा 0.18 हेक्टेयर कायम किये गये लेकिन प्रतिवादी संख्या तीन लगायत 6 की साबिक आराजी संख्या 989/1 रकबा 1 बीघा के नवीन नम्बर 262 रकबा 0.21 है0 कायम किये गये। लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के मध्य उक्त आराजी संख्या 262 का विभाजन हो जाने से वर्तमान में आराजी संख्या 1824/262 रकबा 0.01 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम , आराजी संख्या 1823/262 रकबा 0.02 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम व आराजी संख्या 1825/262 रकबा 0.01 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम व आराजी संख्या 1825/262 रकबा 0.17 है भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड हुई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

4. भू प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियो को साबिक राजस्व रेकार्ड एवं साबिक नक्शे के अनुरूप ही वर्तमान राजस्व रेकार्ड व राजस्व नक्शा कायम करना चाहिये का लेकिन भू प्रबन्ध अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के गैर कानूनी तरीके से वादी की साबिक आराजी संख्या 989/2 क के वर्तमान राजस्व नक्शे को मौके की स्थिति के विपरीत नवीन आराजी संख्या 260 के पूर्व दिशा की और गलत रूप से फीट कर दिया जबकि वादी की नवीन आराजी संख्या 259 को नवीन आराजी संख्या 262 की जगह फीट करना चाहिये था ।

5. भू प्रबन्ध अधिकारियो एवं कर्मचारियों ने मुझ वादी की नवीन आराजी संख्या 259 रकबा 0.19 हेक्टेयर को नवीन नक्शे में गलत फीट कर देने से आराजी संख्या 259 राजस्व रेकार्ड मे तो मुझ वादी के नाम दर्ज है लेकिन मौके पर कब्जा प्रतिवादी संख्या तीन लगायत 6 का है प्रतिवादी संख्या तीन लगायत 6 की नवीन अराजी संख्या 1824/262, 1823/262,1825/262, 1822/262 कुल रकबा 0.21 हेक्टेयर उनके नाम दर्ज है लेकिन मौके पर मुझ वादी के मकानात बने हुए है एवं बाडे बने हुए है। जिस पर वादी काबिज चला जा रहा है।

6. प्रतिवादी संख्या तीन लगायत 6 के नाम दर्ज आराजी संख्या – 1822/262 रकबा 0.17 हेक्टेयर, 1823/262 रकबा 0.02 है0, 1824/262 0.01 है0, 1825/262 रकबा 0.01 हेक्टेयर कुल किता 4. कुल रकबा 0.21 हेक्टेयर भूमि मे से रकबा 0.19 हेक्टयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया , जिसमें से 0.05 है0 भुमि वादी ने आबादी में दर्ज करवा मकानात बना रखे है को गैर मुमकिन आबादी मे व रकबा 0–14 हेक्टेयर भूमि किस्म भू रे मे दर्ज करवा साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती करवाई जाना आवश्यक हो गया तथा मुझ वादी के नाम दर्ज आराजी संख्या 259 रकबा 0.19 हेक्टेयर में से 0.14 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी 3 संख्या लगायत 6 के नाम व आराजी संख्यां 260 रकबा 0.18 है0, जो प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज है मे से 0.07 हेक्टेयर भूमि कुल 0.21 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या तीन लगायत 6 के नाम पर दर्ज होनी चाहिये तथा प्रतिवादी संख्या तीन लगायत 6 का कुल रकबा 0–21 है0 में से 0.19 हेक्टेयर मुझ वादी के व शेष 0.02 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या एक के नाम व आराजी संख्या 261 रकबा 0.12 हेक्टेयर जो प्रतिवादी संख्या 2 ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज है का सम्पूर्ण रकबा 0.12 हेक्टे0 व आराजी संख्या 260 का पश्चिमी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

हिस्से मे से 0.04 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज होनी चाहिये। जिसका कुल रकबा 0.18 हेक्टेयर होगा ।

7. साबिक राजस्व रेकार्ड व साबिक नक्शें के अनुरूप नवीन नक्शा कायम नहीं करने से मुझ वादी के नाम दर्ज आराजी प्रतिवादीगग के कब्जे मे चली आ रही है तथा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज आराजी मुझ वादी के कब्जे मे चली जा रही है जिसका नाजायज लाभ उठाते हुए प्रतिवादी संख्या तीन लगायत 6 ने मौके पर जोर शोर से निर्माण कार्य करवाना प्रारंभ कर दिया तथा मुझ वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त मे नाजायज दखलन्दांजी करने लग गये। जिससे प्रतिवादी संख्या तीन लगायत 6 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

8. प्रतिवादी संख्या तीन लगायत 6 मुझ वादी के नाम दर्ज आराजी संख्या 259 पर दिनाक 22–2–19 को जबरन नीवें खुदवाना प्रारंभ कर दिया तथा वे मौके पर जोर शोर से निर्माण कार्य करवाने पर उतारू हो रहे है। मुझ वादी द्वारा मना करने पर भी प्रतिवादीगण नही मान रहे हैं, जिस पर मैंने थाना रायपुर पर दिनांक 23.2.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन प्रतिवादीगण नहीं मान रहे व मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू हो रहे है। जिससे मुझ वादी को यह वाद पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। विनाय वाद दिनाक 22–2–2019, 23–2–2009 उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह वाद पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत है।

9. प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 6 मुझ वादी के साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे मे दुरूस्ती कराने से प्रभावित होने से एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 मौके पर जोर शोर से निर्माण कार्य करने पर उतारू होने से तथा प्रतिवादी संख्या 7 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें प्रतिवादीगण बनाये गये है।

10. अतः निवेदन है कि खातेदारी अधिकार एवं इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम थला तहसील तहसील रायपुर की नवीन आराजी संख्या 1822/262 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1823/262 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1024/262 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 1825/262 रकबा 0.01 है, कुल किता 4 कुल रकबा 0.21 है भूमि में से 0.19 है भूमि गैर मुमकिन आबादी व 0.14 है0 भूमि किस्म भु रे राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाई जाकर तदनुसार नवीन नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती कराई जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, शीतलवाड़ा

11. इसके साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विक प्रतिवादीगण इस आशय की पारित की जावे कि मुझ वादी के नाम दर्ज नवीन आराजी संख्या 259 रक्वा 0.19 हेक्टेयर भूमि मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार नाजायज दखलदांजी नहीं करे तथा उस पर किसी प्रकार कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा वादी के शांति पूर्वक कब्जेकाश्त में मे किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

12. इसके साथ ही यदि दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादीगण मुझ वादी की आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कर देवे तो उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दी गई सहमति, प्रार्थीया सोसर देवी पत्नी लेहरू लाल के प्रार्थना पत्र व प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा काउण्टर क्लेम को आंशि को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिकी द्वारा 21.6.2017 को पारित किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

13. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

14. उक्त दोनों ही अपीलों के पक्षकारान, विषयवस्तु, अधिवक्ता समान होने से दोनों ही अपीलो का निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति संबंधित पत्रावली के साथ संलग्न की जावे।

15. (अपील संख्या 201/2024 में) अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीया के नियुक्त अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जब भी मामले में जरूरत पडेगी सूचित करके बुला लिया जायेगा , लेकिन अपीलार्थीया को कोई सूचना नही दी व हाल ही में जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 1.10.2024 को पेश किया व नकल दिनांक 4.10.2024 को प्राप्त हुई व जानकारी होते ही यह अपील अन्दर अवधि पेश है। लेकिन निर्णय व डिकी की दिनांक से उक्त अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डोन किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

16. अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अपीलार्थीया ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की है। अतः अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानी जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अथॉरिटी, भीलवाड़ा

(अपील संख्या 71/2020)

17. अपीलार्थी प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी जो कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था , इस कारण से अपीलार्थी अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नही कर सका व अपीलार्थी का विवादित आराजी में रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर हक हिस्सा निहित है व अपीलार्थी जो कि उक्त निर्णय/डिकी से व्यथित पक्षकार है व यदि न्यायालय द्वारा अपीलार्थी ककी अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी गई तो अपीलार्थी जो कि न्याय से महरूम हो जायेगा । इस कारण अपीलार्थी को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

18. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त येाग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य लिये प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किया है, जो विधि मे पोषणीय नही होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी खारीज होने योग्य है।

19. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 08 द्वारा वादी प्रत्यर्थी सख्या 01 आसु से सरहद थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1656/29 रकबा 0.05 हैक्टयर गै. मु. आबादी, 1657/259 रकबा 0.14 हैक्टर भू.रे. कुल किता 02 रकबा 0. 19 हैक्टयर को दिनांक 21/08/2019 को रजिस्टर्ड विकयपत्र के जरिये कय किया गया, जिसमे वादी प्रत्यर्थी संख्या 01 का कोई हक अधिकार नहीं था व साथ ही काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत कर्ता प्रत्यर्थी संख्या 04 माधु द्वारा काऊन्टर क्लेम मे भी माधु द्वारा उसकी आराजी वादी प्रत्यर्थी संख्या 01 को विक्रय करने व उक्त आराजियात को काऊन्टर क्लेमकर्ता माधु के कहे अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 01 वादी द्वारा उक्त आराजी को अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 08 बीरम को विकय करने व मौके पर कब्जा होना व उक्त आराजियात को यथावत रखने बाबत अनुतोष चाहा गया।

20. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 08 बीरम द्वारा जो आराजियात कय की गयी, जिस बाबत न तो प्रत्यर्थी संख्या 01 वादी द्वारा कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अनुतोष चाहा गया है व न ही काऊन्टर क्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 04 माधु द्वारा कोई अनुतोष चाहा गया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमकसूद तरीके से निर्णय/डिकी पारित फरमाते हुए अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 08 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये खरीदशुदा भूमि के संबध ने बिना अपीलार्थी को सुने अन्य के नाम पर दर्ज करने का निर्णय / डिकी पारित की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

21. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मामले मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा काऊन्टर क्लेम पेश होने से काऊन्टर क्लेम के तथ्यो अनुसार विवाद्यक तय करने थे व वादी के वाद अनुसार विवाद्यक तय कर साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करना था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून को बाला ए ताक रखकर विधि से परे जाकर बिना साक्ष्य व बिना विवाद्यक तय कर वाद व काऊन्टर क्लेम के अभिवचनो से परे जाकर बिना पक्षकारान के सहमति / उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर कराये बिना मनमकसूद निर्णय/डिकी पारित की हे, जो अपास्त होने योग्य है।

22. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पत्रावली पर विक्रयपत्र पंजीयन होने का उल्लेख होते हुए व विक्रयपत्र दस्तावेज को किसी भी सक्षम न्यायलाय द्वारा निरस्त नही करने व उसको चॅलेज नही करने व काऊन्टर क्लेमकर्ता स्वयं द्वारा सही होना स्वीकार करने के बावजूद भी रजिस्टर्ड स्वामी को बिना सुने उक्त निर्णय पारित किया है, जो निर्णय व डिकी साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से मोहताज रहा है।

23. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि धिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र सहमति के आधार पर निर्णय करना बताया गया है, जो कि बिना पक्षकारो की उपस्थिति मे किया गया है, जो कि अपने पदीय कर्तव्य का दुरूपयोग झलकता है।

24. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओ को नजर अदांज कर व विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त निर्णय / डिकी पारित की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो से परे होकर निरस्त होने योग्य है।

25. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की अव्हेलना कर सुनवायी का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय/आदेश पारित की है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

26. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 05/03/2020 में विधिक प्रावधानों व विधिक प्रक्रिया की पूर्ण रूप से अवहेलना की गयी है इस कारण उक्त निर्णय व डिकी विधि मे पोषणीय नही है इसके उपरान्त भी उक्त निर्णय व डिकी का अवलोकन किया जाता है उसमें भी उक्त निर्णय व डिकी पूर्णतया अस्पष्ट एवं सदिग्ध प्रकट होती है।

27. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी जो कि अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था, इस कारण से अपीलार्थी जो कि अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नही रख सका व अपीलार्थी का विवादित आराजी मे रजिस्टर्ड विकयपत्र के आधार पर हक हिस्सा निहित है व अपीलार्थी जो कि उक्त निर्णयधडिकी से व्यथित पक्षकार है व यदि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी गयी तो अपीलार्थी जो कि न्याय से महरूम हो जायेगा, इस कारण से अपीलार्थी को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करायी जाना आवश्यक है, इस हेतु धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है।

28. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 08 का भी हित प्रभावित है, लेकिन वक्त अपील पेश करते समय उपस्थित नहीं हो पाने से उसे बतौर पक्षकार प्रत्यर्थी संयोजित किया गया है।

29. अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिकी दिनांक 05.03.2020 को खारिज करने का आदेश प्रदान फरमावें व साथ ही उक्त निर्णय/डिकी के आधार पर यदि किसी प्रकार की प्रविष्ठी दर्ज कर लेवे तो उसे निरस्त करा, पूर्ववत स्थिति बहाल करायी जावें।

30. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 07 एवं 09 के विरूद्ध एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टि.एक्ट का वादपत्र पेश कर सरहद थला तहसील रायपुर की नवीन आराजी नम्बर 1822/262 रकबा 0.17 हैक्टयर आराजी नम्बर 1823/262 रकबा 0.02 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1024/262 रकबा 0.01 हैक्टयर, 1825/262 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 0.21 हैक्टयर भूमि मे से 0.19 हैक्टयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घौषित कराये जाने व उसमे से 0.05 हैक्टयर भूमि गै.मु. आबादी व 0.14 हैक्टयर भूमि किस्म भू. रे. दर्ज करवायी जाने व नवीन आराजी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

संख्या 259 रकबा 0.19 हैक्टयर भूमि बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया।

31. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में नोटिस जारी किये गये व प्रतिवादी संख्या 03 तीन काऊन्टर क्लेम पेश किया गया, जिसमे प्रतिवादी संख्या 03 माधु ने अपनी आराजी नम्बर 1822/262 का विकयपत्र वादी के नाम तथा वादी ने अपनी आराजी संख्या 259 का विक्रयपत्र प्रतिवादी संख्या 03 के कहे अनुसार अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 08 वीरम कुमावत के नाम पर करवा देने व आराजी नम्बर 259 पर वीरम कुमावत व बभुनाथ का कब्जा होने व आराजी संख्या 1822/262 पर वादी का कब्जा होने व दोनो नम्बरो मे किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाने हेतु निवेदन किया गया व साथ ही आराजी नम्बर 1656/29 व आराजी नम्बर 1657/259 जो कि आराजी नम्बर 259 से बने है, जो अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 08 द्वारा कय कर देने से उन्हे पक्षकार संयोजित करने का भी निवेदन किया गया। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण जो कि मौका रिपोर्ट व वास्ते तनकी हेतु व मौका रिपोर्ट हेतु प्रकरण नियत था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पदीय कर्तव्य का दुरूपयोग करते हुए बिना अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 08 को पक्षकार संयोजित किये बिना व बिना सुनवायी का अवसर दिये, मनमकसूद तरीके से बिना साक्ष्य व बिना पक्षकारो की सहमति से केवल मात्र ऑर्डरशीट में पक्षकारान की सहमति से निस्तारण करना अंकित कर प्रकरण की विषय वस्तु से परे जाकर उक्त निर्णय व डिकी पारित की है इस कारण माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

32. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य लिये प्रकरण का अन्तिम निस्तारण कर दिया जबकि प्रतिवादी सं. 03 माधु के द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया गया था ऐसी स्थिति में उभयपक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार प्रकरण में तनकीयात कायम कर उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर प्रकरण का निस्तारण करना था लेकिन माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्तानुसार विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना तथा प्रकरण में तनकीयात कायम किये बिना एवं साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होंने योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, शीलवाड़ा

33. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 08 द्वारा वादी प्रत्यर्थी सख्या 01 आसु से सरहद थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1656/29 पुरकबा 0.05 हैक्टयर गै.मु. आबादी, 1657/259 रकबा 0.14 हेक्टर भूरे. कुल किता 02 रकबा 0.19 हैक्टयर को दिनांक 21.08.2019 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये कय किया गया, जिसमे वादी प्रत्यर्थी संख्या 01 का कोई हक अधिकार नही था व साथ ही काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत कर्ता प्रत्यर्थी संख्या 04 माधु द्वारा काऊन्टर क्लेम मे भी माधु द्वारा उसकी आराजी वादी प्रत्यर्थी संख्या 01 को विक्रय करने व उक्त आराजियात को काऊन्टर क्लेमकर्ता माधु के कहे अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 01 वादी द्वारा उक्त आराजी को अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 08 बीरम को विक्रय करने व मौके पर कब्जा होना व उक्त आराजियात को यथावत रखने बाबत अनुतोष चाहा गया। इस प्रकार अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 08 बीरम द्वारा जो आराजियात क्रय की गयी, जिस बाबत न तो प्रत्यर्थी संख्या 01 वादी द्वारा कोई अनुतोष चाहा गया है व न ही काऊन्टर क्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 04 माधु द्वारा कोई अनुतोष चाहा गया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमकसूद तरीके सेनिर्णय/डिकी पारित फरमाते हुए अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 08 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये खरीदशुदा भूमि आराजी सं. 1456/259 रकबा 05 बिस्वा गे.मु. आबादी एवं आराजी सं. 1657/259 रकबा 14 बिस्वा के संबध में बिना अपीलार्थी को सुने अन्य के नाम पर दर्ज करने का निर्णयधडिकी पारित की है. जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

34. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उभय पक्षकारान की कोई सहमति नहीं रही है तथा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी सं. 1656/259 एवं 1657/259 जो कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 08 द्वारा क्रयशुदा थी के सम्बंध में विक्रयपत्र रिकार्ड पर आ गया था तथा पत्रावली पर विक्रयपत्र पंजीयन होने का उल्लेख होते हुए व विक्रयपत्र दस्तावेज को किसी भी सक्षम न्यायलाय द्वारा निरस्त नही करने व उसको चॅलेज नही करने व काऊन्टर क्लेमकर्ता स्वयं द्वारा सही होना स्वीकार करने के बावजूद भी रजिस्टर्ड स्वामी अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 08 बीरम को बिना सुने उक्त निर्णय पारित किया है, जो निर्णय व डिकी साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से मोहताज रहा है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

35. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की अवहेलना कर सुनवायी का अवसर दिये बिना उक्त निर्णयध्आदेश पारित की है तथा आबादी की आराजी का विभाजन करने एवं आबादी आराजी सं. 1656/259 के सम्बंध में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया बिना ही क्षेत्राधिकारिता से परे जाकर तथा आबादी की आराजी के बाबत् सुनवाई का कोई अधिकार नही होते हुए भी जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

36. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी जो कि अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, इस कारण से अपीलार्थी जो कि अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख सका व अपीलार्थी का विवादित आराजी सं. 1656/259 एवं 1657/259 में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर हक हिस्सा निहित है व अपीलार्थी कि उक्त निर्णयधडिकी से व्यथित पक्षकार है व यदि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी गयी तो अपीलार्थी सोकि न्याय से महरूम हो जायेगा, इस कारण से अपीलार्थी को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करायी जाना आवश्यक है, इस हेतु धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया है जो स्वीकार होने योग्य है।

37. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में दिनांक 28.01.2019 को जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 30.01.2020 को पत्रावली वास्ते तनकीयात हेतु नियत की गई थी तत्पश्चात् प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नही की गई एवं दिनांक 26.02.2020 को प्रकरण में सोसर देवी की और से आदेश 01 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिस पर बहस सुनी गयी तथा उसके निर्णय हेतु पत्रावली नियत की गई तत्पश्चात् सोसर देवी के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया एवं मूल ही प्रकरण का निस्तारण बिना साक्ष्य लिये ही एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही कर दिया तथा निर्णय में सोसर देवी को भी हक, अधिकार दिये गये जबकि सोसर देवी प्रकरण में पक्षकार नहीं है साथ ही अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 08 बीरम के क्रयशुदा आराजी 1656/259 एवं 1657/259 के भी टुकड़े बिना अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 08 की सहमति एवं स्वीकृति के कर दिये गये तथा आबादी की आराजी के बाबत् भी किसी प्रकार का क्षेत्राधिकार नही होतो हुए भी निर्णय पारित किया निर्णय से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलार्थी की क्रयशुदा आराजी के टुकडे हो गये तथा अपीलार्थी हक, हिस्सा पूरी तरह प्रभावित हुआ है इस कारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाना एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित ने आवश्यक है।

38. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2021 (2) पेज संख्या 1083, आर आर टी 2025 (1) पेज 707,आर आर टी 2025 (1) पेज 704 की ओर ध्यान आकर्षित कर अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एवं साथ ही यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05/03/2020 को खारिज करने का आदेश प्रदान फरमावें। विकल्प में निवेदन है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को माननीय अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे।

39. प्रत्यर्थी संख्या 2, 5, व 7 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन कर तथा सभी को सुनवाई का अवसर देकर बहस का सही विवेचन करें विधिनुसार निर्णय पारित किया है जो किसी प्रकार से अपास्त होने योग्य नहीं है।

40. प्रत्यर्थी संख्या 2, 5, व 7 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अपीलांट ने यह अपील धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत की है जबकि अपीलांट ने अपील में कहीं यह नहीं बताया है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से किस प्रकार व्यथित है इसलिए अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

41. प्रत्यर्थी संख्या 2, 5, व 7 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अपीलांट को दावे की शुरू से ही की जानकारी थी लेकिन अपीलांट जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बन दावे के निपटारे का इंतजार करते रहे और दावे का निपटारा होते ही अपीलांट ने यहां अपील प्रस्तुत कर दी। अपीलांट ने अपील में कहीं भी यह नहीं दर्शाया है कि उसे दावे व निर्णय की जानकारी कब व कैसे हुई इसलिए अपीलांट धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होने से अपील खारिज होने योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

42. प्रत्यर्थी संख्या 2, 5, व 7 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि दिनांक कि 21.8.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में स्थगन था और इसकी जानकारी अपीलांट को थी। उसी दिन आसू द्वारा अपीलांट को जमीन का बैचान कर दिया तथा दावे को विड्रोल कर लिया जबकि दावे में काउंटर क्लेम पेंडिंग था। जिसमें अपीलांट को पक्षकार बनना चाहिए था जो अपीलांट ना बनकर दावे को वेट एंड वॉच करते रहे।

43. प्रत्यर्थी संख्या 2, 5, व 7 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अपीलांट ने यह भूमि न्यायालय में स्थगन होने के दौरान क्रय की है इसलिए उसे किसी तरह का कोई अधिकार पैदा नहीं होता है इसलिए अपील खारिज होने योग्य है।

44. प्रत्यर्थी संख्या 2, 5, व 7 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि रजिस्ट्री के पश्चात और अपीलांट ने पट्टेसुदा भूमि पर व उस पर बने निर्माण को तोडकर उसे पर कब्जा करना चाहा इसलिए अपीलांट व अन्य के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ।

45. प्रत्यर्थी संख्या 2, 5, व 7 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि वादी ने जमीन को पहले सरेंडर किया जो ग्राम पंचायत के नाम आबादी दर्ज हुई उसको वादी ने बक्षुनाथ व विरम को बेच दी जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था।

46. प्रत्यर्थी संख्या 2, 5, व 7 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि उक्त जमीन पर पंचायत द्वारा भूखंड काटकर विधिवत पट्टे जारी किए गए जिन पर पट्टेदारों का कब्जा होकर पट्टेदारों के मकान बने हुए हैं।

47. प्रत्यर्थी संख्या 2, 5, व 7 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि तहसीलदार रायपुर की अधीनस्थ न्यायालय में साबिक रिकार्ड व मौका रिपोर्ट पेश हुई जिससे यह स्पष्ट रूप अंकित किया कि कौन कहां काबिज है। जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन कर सही विवेचन कर विधिनुसार निर्णय पारित किया है।

48. प्रत्यर्थी संख्या 2, 5, व 7 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अपीलांट का रजिस्टेंड विक्रय पत्र के जरिए यदि कोई हक व अधिकार बनता भी है तो उसके लिए वह स्वयं रेगुलर सूट दायर कर सकता है। इसलिए अपीलांट को इस अपील में कोई अधिकार नहीं होने से अपील खारिज होने योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

49. प्रत्यर्थी संख्या 2, 5, व 7 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि दिनांक 21.8.2019 को प्रतिवादी संख्या 1,2,4 एवं 6 की ओर से जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया। जिसकी जानकारी भी अपीलांट को उसी समय हो गई थी क्योंकि वादी का वाद भी उसी रोज विड्रोल किया गया तथा अपीलांट ने वादी से दिनांक 21.8.2019 को ही विवादित आराजियात की रजिस्ट्री करवाई थी। इसलिए अपीलांट अगर चाहता तो स्वयं आदेश 1 नियम 10 में पक्षकार बन अपना पक्ष रख सकता था। जो न बन केवल मात्र वेट एंड वॉच करता रहा इसलिए अपीलांट को अपील का कोई अधिकार नहीं होने से अपील खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जावे।

50. अपने तर्को के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2, 5, व 7 ने न्यायिक उद्धरण सी जे 2022(1) (राजस्थान) पेज संख्या 261, आर बी जे 2020 पेज संख्या 569, आर आर डी 2010 पेज संख्या 912 डी एन जे 2009 (एस सी) पेज संख्या 380 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

(अपील सख्या 201/2024)

51. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मामले में अपीलार्थी द्वारा काऊन्टर वाद पेश किया गया व साथ ही अपीलार्थी द्वारा जो मौका रिपोर्ट पेश हुई थी जिसमे भी आपत्ति दर्ज करायी गयी, जिस पर दिनाक 21.08.2019 को पुनः मौका रिपोर्ट हेतु प्रकरण मे तारीख पेशी तब्दील की गयी व मामले में प्रकरण जो कि दिनांक 30.01.2020 को वास्ते तनकी हेतु नियत की गयी, लेकिन मामले में न तो किसी प्रकार की तनकी कायम हुई व न ही मामले मे कोई सोसर पक्षकार हैं, फिर भी दिनांक 26.02.2020 को सोसर द्वारा प्रार्थनापत्र पेश करना अंकित किया गया है, लेकिन प्रार्थनापत्र किस आधारो पर पेश किया गया, उसका उल्लेख नही किया गया व आगामी तारीख पेशी पर बिना तनकियात कायम किये बिना साक्ष्य लिये, मनमकसूद तरीके से उक्तनिर्णय पारित किया गया है व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर वार को आंशिक रूप से गलत स्वीकार किया है, जो गलत किया है। इस प्रकार बिना अपीलार्थी को सुने उक्त निर्णयध/ डकी पारित की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

52. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

साक्ष्य लिये प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किया है, जो विधि में पोषणीय नही होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी खारीज होने योग्य है।

53. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि मामले में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा काऊन्टर क्लेम पेश होने से काऊन्टर क्लेम के तथ्यो अनुसार विवाद्यक तय करने थे व वादी अपीलार्थी के वाद अनुसार विवाद्यक तय कर साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करना था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून को बाला ए ताक रखकर विधि से परे जाकर बिना साक्ष्य व बिना विवाद्यक तय कर वाद व काऊन्टर क्लेम के अभिवचनो से परे जाकर बिना पक्षकारान के सहमति/उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर कराये बिना मनमकसूद निर्णय/डिकी पारित की है, जो अपास्त होने योग्य है।

54. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि पत्रावली पर विक्रयपत्र पंजीयन होने का उल्लेख होते हुए व विक्रयपत्र दस्तावेज को किसी भी सक्षम न्यायक्षाय द्वारा निरस्त नहीं करने व उसको चॅलेज नही करने व काऊन्टर क्लेमकर्ता स्वयं द्वारा सही होना स्वीकार करने के बावजूद भी रजिस्टर्ड स्वामी को बिना सुने उक्त निर्णय पारित किया है, जो निर्णय व डिकी साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से मोहताज रहा है।

55. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र सहमति के आधार पर निर्णय करना बताया गया है, जो कि बिना पक्षकारो की उपस्थिति में किया गया है, जो कि अपने पदीय कर्तव्य का दुरूपयोग झलकता है।

56. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि उक्त प्रकरण मे नोटिस जारी किये गये व अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 03 तीन काऊन्टर क्लेम पेश किया गया, जिसमे प्रतिवादी संख्या 03 माधु ने अपनी आराजी नम्बर 1822/262 का विकयपत्र वादी के नाम तथा वादी ने अपनी आराजी संख्या 259 का विकयपत्र प्रतिवादी संख्या 03 के कहे अनुसार बक्षुनाथ व वीरम कुमावत के नाम पर करवा देने व आराजी नम्बर 259 पर वीरम कुमावत व बभुनाथ का कब्जा होने व आराजी संख्या 1822/262 पर वादी का कब्जा होने व दोनो नम्बरो मे किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाने हेतु निवेदन किया गया व साथ ही आराजी नम्बर 1656/29 व आराजी नम्बर 1657/259 जो कि आराजी नम्बर 259 से बने है, जो बक्षु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नाथ व वीरम द्वारा कय कर देने से उन्हे पक्षकार संयोजित करने का भी निवेदन किया गया। केता को पक्षकार बनाये बिना बिना साक्ष्य व बिना पक्षकारों की सहमति से केवल मात्र ऑर्डरशीट मे पक्षकारान की सहमति से निस्तारण करना अंकित कर प्रकरण की विषय वस्तु से परे जाकर उक्त निर्णय व डिकी पारित की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

57. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि उक्त आराजी आबादी भूमि में दर्ज हो चुकी थी न तो ग्राम पंचायत को कोई नोटिस दिया व न ही ग्राम पंचायत को कोई पक्षकार बनाया गया एवं आबादी भूमि का बटवाड़ा करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड न्यायालय को करने का कोई अधिकार नही है। इस कारण से उक्त अदालत मातहत का निर्णय व डिकी विधि विरूद्ध होने खारीज होने योग्य है।

58. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय को केवल मात्र राजस्व भूमियो का हिस्से अनुसार बटवाड़ा करने का अधिकार है न कि पडौस अंकित करने का, इस कारण से अदालत मातहत ने जो निर्णय व डिकी पारित की है, वो निरस्त होने योग्य है।

59. अतः निवेदन है कि लिखित बहस रेकार्ड पर ली जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमा, मामले मे पारित निर्णय/डिकी को अपास्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

60. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। अपील संख्या 201/2024 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलार्थी का यह निवेदन है कि अपीलार्थीया के नियुक्त अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जब भी मामले में जरूरत पडेगी सूचित करके बुला लिया जायेगा , लेकिन अपीलार्थीया को कोई सूचना नही दी व हाल ही में जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 1.10.2024 को पेश किया व नकल दिनांक 4.10.2024 को प्राप्त हुई व जानकारी होते ही यह अपील अन्दर अवधि पेश है। लेकिन निर्णय व डिकी की दिनांक से उक्त अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डोन किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

61. अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अपीलार्थीया ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की है। अतः अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानी जावे।

62. प्रत्यर्थीगण की ओर से रिबटल में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

63. अपील संख्या 71/2020 में अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 96 सी पी सी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही है। अपीलार्थी/प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी को रजिस्टर्ड विकय पत्र के जरिये कय किया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी/प्रार्थी का हक हित निहित हो चुका है। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर प्रार्थी न्याय से महरूम रह जायेगा। ऐसी स्थिति मेंन्यायहित में अपीलार्थी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

64. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकनकिया गया। पत्रावली परउपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । रेकार्ड अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में मूल प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का था और इन्द्राज दुरूस्ती बाबत भूमिधारी तहसीलदार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट ली गई है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही सभी प्रकार की भूमियों को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक हिस्से अनुसार क्या दर्ज होना चाहिये इसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से किया गया है। न्यायालय द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हक के संदर्भ में स्पष्ट टिप्पणी करते हुए इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिक, विस्तृत व सद्भाविक है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 5.3.2020 को यथावत रखा जाता है। उपरोक्तानुसार डिकी पर्चा मूर्तिब किया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

65. आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक 14.11.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(पी0आर0मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी0 आर0 मीना ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/71/2020

उनवान

1. बक्षुनाथ पुत्र सुवानाथ, उम्र वयस्क निवासी करेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज.)

– अपीलार्थी

बनाम

1. आसु पुत्र श्री भागीरथ कुमावत, उम्र वयस्क निवासी–थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
2. नानूराम पुत्र श्री अमरा कुमावत, उम्र वयस्क निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
3. ग्राम पंचायत थला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
4. माधु पुत्र श्री नाथु कुमावत मृतक के बजाय
4/1 छाबली देवी पत्नी श्री माधु कुमावत, उम्र वयस्क निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
5. धन्ना पुत्र श्री नाथु कुमावत, उम्र वयस्क निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
6. नैना पुत्र श्री नाथु कुमावत, उम्र वयस्क निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
7. सोहन पुत्र श्री नाथु कुमावत, उम्र वयस्क निवासी–थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
8. बिरम पुत्र श्री नारू कुमावत, उम्र वयस्क निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
के प्रकरण संख्या 19/2019 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.3.2020

अभिभाषक :

1. श्री एस एन सोमाणी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री शिव सिंह चारण अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3.श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 5 7
4. श्री सूरज सनाढ्य, दिनेश तिवाडी, प्रत्यर्थी संख्या 4

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

(2)अपील संख्या 201/2024

अनवान

1. माधु पुत्र श्री नाथू कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०) मृतक के बजाय विधिक वारीस– श्रीमती छावली देवी पत्नी स्व० श्री माधु कुमावत आयु वयस्क निवासी– थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थी

बनाम

1. आसु पुत्र श्री भागीरथ कुमावत आयु वयस्क निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. नानूराम पुत्र श्री अमरा कुमावत आयु वयस्क निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. ग्राम पंचायत थला जरिये संरपच ग्राम पंचायत थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. धन्ना पुत्र श्री नाथू कुमावत आयु वयस्क निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. नैना पुत्र श्री नाथू कुमावत आयु वयस्क निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. सोहन पुत्र श्री नाथू कुमावत आयु वयस्क निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रायपुर जिला भीलवाडा (राज०)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
के प्रकरण संख्या 19/2019 निर्णय एवं डिकी दिनांक 5.3.2020

अभिभाषक :

1. श्री शोभागमल कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थी

अपील में डिकी
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/71/2020 एवं अपील संख्या 201/2024मे उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिकी जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 14.1.2026 को अपील संख्या 71/2020 में अपीलाण्ट की ओर से श्री एस एन सोमाणी, वकील एवं दीपक शर्मा सूरज सनाढ्य, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 5 7 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण गोपाल शर्मा की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

उपस्थिति में एवं अपील संख्या 201/2024 में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शौभागमल कुमावत की उपस्थिति मे दिनांक 14.1.2026 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :—

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 5.3.2020 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 14.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिकी जारी की जाती है।

(पी0आर0मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस